राजस्थान स्टेट सीड्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड
पंत कृषि भवन, जनपथ, जयपुर–302005
Ph. 0141&2227665, 2227514 Fax No. 2227147 E-mail rajseedsmarketing@gmail.com
CIN-U75132RJ1978SGC001781 www.rajseeds.org.

क्रमांक : एफ 6 (31 ए)विपणन / नीलामी नियम व शर्तें / 2024–2025 / 9036-9068 दिनांक: 01-08-25

शुद्धि पत्र

प्रसंगः–कार्यालय पत्रांक एफ 6( )विपणन / ई नीलामी नियम व शर्ते / 2024–25 / 3167–3208 दिनांक 12.05.2025 के क्रम में।

कार्यालय पत्रांक एफ 6 ( )विपणन / ई नीलामी नियम व शर्ते / 2024–25 / 3167 –3208 दिनांक 12.05.2025 के द्वारा अनुपयुक्त / अमानक / अण्डर साईज / स्वीपेज / स्पिलओवर इत्यादि बीजों के निस्तारण योग्य जिन्सों के नीलामी से संबंधित नवीन नियम व शर्ते जारी की गई थी। जिसमें सहवन से निदेशक मण्डल की 241 वीं बैठक के स्थान पर निदेशक मण्डल की 214 वीं बैठक का अंकन हो गया था। अतः निदेशक मण्डल की 214वीं बैठक के स्थान पर 241वीं बैठक पढा जावे। प्रासंगिक पत्रांक में वर्णित नीलामी से संबंधित नियम व शर्ते यथावत रहेगी।

(निमिषा गुप्ता)
प्रबन्ध निदेशक
DIN 10565348

प्रतिलिपि :– कमांक : एफ 6( ) / विपणन / ई नीलामी नियम व शर्ते / 2024–25 9036-9068 दिनांक : 01-08-25

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. निजी सचिव माननीय अध्यक्ष एवं शासन सचिव कृषि राजस्थान जयपुर।
2. वरिष्ठ प्रबंधक वित्त, राजस्थान स्टेट सीड्स कॉर्पो. लि. जयपुर।
3. स्हायक उपाध्यक्ष NCDEX आकृति कॉर्पोरेट पार्क, प्रथम तल एलबीएस मार्ग, कन्जूर मार्ग (पश्चिम), मुम्बई–40007
4. क्षेत्रीय कार्यालय, NCDEX प्रेस्टीज टॉवर, द्वितीय तल, कार्यालय न.–1ए, आम्रपाली सर्किल वैशाली नगर जयपुर।
5. क्षेत्रीय / संयंत्र प्रबंधक, राजस्थान स्टेट सीड्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड, समस्त ।

प्रबन्ध निदेशक

Document certified by NIMISHA GUPTA <dsmedicalgroup2@gmail.com>.
Digitally Signed by Nimisha Gupta
Designation :Managing Director
Date :01-08-2025 12:31:23

RajKaj Ref No.: 16901566
eSign DSC

राजस्थान स्टेट सीड्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड

पंत कृषि भवन, जनपथ, जयपुर–302005

Ph. 0141-2227665, 2227514 Fax No. 2227147 E-mail rajseedsmarketing@gmail.com

CIN-U75132RJ1978SGC001781 www.rajseeds.org

क्रमांक :एफ 6( )/विपणन/ ई नीलामी नियम व शर्ते/2024–25 3167–3208 दिनांक :12-05-25

क्षेत्रीय/ संयंत्र प्रबंधक
राजस्थान स्टेट सीड्स कॉर्पो लि.,
समस्त।

विषयः— निदेशक मण्डल की 214 वीं बैठक के अनुमोदन अनुसार अनुपयुक्त/ अमानक/अण्डर साईज /स्वीपेज/स्पिलओवर इत्यादि बीजों के निस्तारण योग्य जिन्सो की नीलामी से संबंधित नवीन नियम व शर्तो बाबत्।

उपरोक्त विषयान्तर्गत कार्यालय पत्रांक 5820—5848 दिनांक 01.06.2009, पंत्राक एफ 6 (31 ए) सामान्य/विपणन/ 2014—15/23847—53 दिनांक 27.02.2015, एफ 6 (31 ए) सामान्य/विपणन/ 2014—15/711—732 दिनांक 08.04.2015, तथा **पूर्व मे नीलामी से संबंधित समय समय पर जारी दिशा निर्देश/ नियम व शर्तो के अतिक्रमण मे नवीन दिशा—निर्देश निम्नानुसार** जारी किये जाते है।

निस्तारण संबंधित नियम व शर्ते

1. ई—नीलामी मे सम्मिलित होने योग्य जिन्स

अनुपयुक्त/अमानक/अण्डर साईज स्वीपेज/स्पिलओवर इत्यादि बीजों के नीलामी द्वारा निस्तारण किये जाने योग्य जिन्स विवरण निम्नानुसार है :—

अमानकः— वह बीज लॉट जो बीज परीक्षण प्रयोगशाला में बीज विश्लेषण के दौरान भारत सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम बीज प्रमाणीकरण के अनुरूप नहीं पाया जाता है, उस बीज को बीज परीक्षण प्रयोगशाला द्वारा अमानक बीज घोषित किया जाता है।

अन्डरसाईजः— बीज को विधायन के समय ग्रेडिग मशीन द्वारा निकालें गये छोटे साईज के बीज एवं कटे, टूटे बीज अण्डर साईज की श्रेणी में आते है।

स्वीपेजः— गोदाम में लोडिंग/अनलोडिंग के दौरान एवं सफाई करवाने के दौरान विभिन्न फसल/किस्मों के बिखरे हुए बीज को स्वीपेज बीज कहते है।

स्पिलओवरः— बीज जो थैली, बैग, बोरियां तथा पैकिंग पाउच के फट जाने के कारण बिखर जाता है तथा उक्त कारणो से पैकिंग की निर्धारित मात्रा से कम बीज मात्रा जिसकी फसल/किस्म की जानकारी रहती हैं, को स्पिलओवर बीज कहते है।

विपणन/उत्पादन उपरांत अधिशेष बीज जिसका पुर्नमान्यकरण नही किया जा सकता है अथवा भौतिक रूप से खराब बीज जिसका विपणन/उत्पादन नही किया जा सकता है एवं उपरोक्त प्रकार के समस्त बीजों के निस्तारण हेतु **इकाई स्तर पर गठित कमेटी की अनुशंषा उपरांत प्रस्ताव मुख्यालय भिजवाये जायेंगे।**

2 <u>नीलामी कमेटी</u>

नीलामी से संबंधित समस्त कार्यो के लिए निम्नानुसार कमेटी का गठन किया जाता हैः—

(अ) **इकाई स्तर** — नीलामी से संबंधित समस्त कार्यो के लिए (1) क्षेत्रीय प्रबंधक, (2) संयंत्र प्रबंधक (3) बीज अधिकारी, (4) इकाई पर उपस्थित लेखाकर्मी (5) स्टोर कीपर सदस्य होगें।

(ब) **मुख्यालय स्तर**— (1) महाप्रबंधक (2) मुख्य प्रबंधक (विपणन) (3) वरिष्ठ प्रबंधक (वित्त) (4) वरिष्ठ प्रबंधक (उत्पादन) (5) वरिष्ठ प्रबंधक (विधायन) (6) वरिष्ठ प्रबंधक (विपणन)/प्रबंधक (विपणन) सदस्य होगें। **जिसमें से वरिष्ठ प्रबंधक (वित्त) एवं शेष सदस्यों मे से चार की उपस्थिति अनिवार्य होगी।**

उक्त कमेटी नीलामी प्रस्ताव के विश्लेषण एवं ई—नीलामी मे जिन्सो की प्राप्त दरों का बाजार दरों से विश्लेषण कर प्रबंध निदेशक के समक्ष अनुमोदन के लिए अनुशंषा प्रस्तुत करेगी।

<u>3 नीलामी प्रस्ताव</u>

1. इकाईयों द्वारा सीजन समाप्ति उपरांत लगभग एक माह की अवधि मे निस्तारण योग्य जिन्सों के प्रस्ताव बीज परिक्षण प्रयोगशाला परिणाम सहित संलग्न **निर्धारित प्रपत्र 1** मे मुख्यालय में प्रेषित किये जाने होगें (खरीफ सीजन उपरांत 31 अगस्त तक और रबी सीजन उपरांत 31 जनवरी तक)। **साथ ही इकाई पर उपलब्ध समस्त निस्तारण योग्य जिन्सों के पूर्ण प्रस्ताव वांछनीय दस्तावेजो सहित प्रेषित कर दिये गये है। इस आशय का प्रमाण पत्र भी मुख्यालय प्रेषित करना अनिवार्य होगा।**
2. इकाईयो द्वारा निस्तारण योग्य जिन्सों के प्रस्ताव मय जस्टीफीकेशन विपणन शाखा को प्रेषित किये जायेंगे। नीलामी योग्य जिन्सो से सम्बन्धित शाखा प्रभारी प्राप्त प्रस्तावों में शाखा से सम्बन्धित जिन्सों का विश्लेषण कर, मुख्यालय स्तरीय कमेटी के रूप में अनुशंषा प्रबंध निदेशक को प्रस्तुत करेंगे। अनुमोदन उपरान्त प्रस्तावों की स्वीकृति क्षेत्रीय / संयंत्र प्रबंधकों को प्रेषित की जावेगी।

4 <u>नीलामी प्रक्रिया</u>

नीलामी हेतु इच्छुक बिडर फर्मो द्वारा, राजसीड्स की अनुमोदित ई—नीलामी सेवाप्रदाता फर्मो के प्लेटफॉर्म पर/ पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन/पंजीकरण करवाना होगा। इसके उपरान्त बिडर फर्मे ई—नीलामी में भाग ले सकेंगी।

नीलामी प्रकिया हेतु बिडर के रजिस्ट्रेशन के लिए नीलामी सूचना का प्रकाशन वर्ष मे 2 बार अथवा आवश्यकतानुसार किया जावेगा। क्षेत्रीय प्रबंधकों से प्राप्त संकलित सूचनानुसार विपणन शाखा द्वारा ई—नीलामी कार्यवाही सम्पादित की जावेगी।

Kaj Ref No.: 15199667

(अ) सूचना प्रकाशनः– ई–नीलामी मे भाग लेने हेतु इच्छुक फर्मो (बिडर) को राजसीड्स की अनुमोदित ई–नीलामी सेवाप्रदाता फर्मो में पंजीकरण करवाना होगा। उक्त फर्मो द्वारा वर्षभर पंजीकरण किया जाता है। सेवा प्रदाता फर्मो के द्वारा सम्पादित/आयोजित ई–नीलामी में भाग लेने हेतु इच्छुक फर्मो (बिडर) को रजिस्ट्रेशन/ पंजीकरण करवाने के लिये राजसीड्स द्वारा वर्ष में 2 बार **अथवा आवश्यकतानुसार** सूचना प्रकाशित की जावेगी।

ई–नीलामी में सम्मिलित जिन्सो की अनुमानित राशि के अनुसार समाचार पत्रों मे सूचना का प्रकाशन किया जावेगा।

I. **सभी तरह की नीलामी जिन्स जिनका मूल्य रूपये 2.5 लाख तक है:–** मुख्यालय व सभी क्षेत्रीय एवं अधिनस्थ कार्यालयों के नोटिस बोर्ड पर एवं एक क्षेत्रीय दैनिक समाचार पत्र /राज्य स्तरीय समाचार पत्र **–स्थानीय संस्करण** मे प्रकाशन किया जावे।

II. **सभी तरह की नीलामी जिन्स जिनका मूल्य रू. 2.5 लाख से अधिक परन्तु रू. 10 लाख तक है:–** मुख्यालय व सभी क्षेत्रीय एवं अधिनस्थ कार्यालयों के नोटिस बोर्ड पर एवं एक राज्य स्तरीय समाचार पत्र मे जिसकी प्रकाशित प्रतियो की संख्या 50000 प्रतियो से अधिक है, मे प्रकाशन किया जावे।

III सभी तरह की नीलामी जिन्स जिनका मूल्य रू. 10 लाख से अधिक होने पर:– मुख्यालय व सभी क्षेत्रीय एवं अधिनस्थ कार्यालयों के नोटिस बोर्ड पर एवं एक राज्य स्तरीय समाचार पत्र मे जिसकी प्रकाशित प्रतियो की संख्या 50000 प्रतियो या इससे अधिक हो एवं वृहद परिचालन एक राष्ट्र स्तरीय समाचार पत्र मे जारी किया जावे।

(ब) पंजीकरण सूचना प्रकाशन एवं ई–नीलामी प्रारम्भ होने के मध्य अवधि नीलामी योग्य जिन्सो की अनुमानित राशि अनुसार, निम्नानुसार होगी :–

(क) **0.50** लाख रूपये मूल्य तक के लिये 07 दिवस

(ख) 0.50 से 2.50 लाख रूपये मूल्य तक के लिये 10 दिवस

(ग) 2.50 लाख रूपये से अधिक और 10.00 लाख रूपये तक के लिये 15 दिवस

(घ) 10.00 लाख रूपये से अधिक 20 दिवस

(आवश्यकता होने पर पंजीकरण सूचना प्रकाशन एवं ई नीलामी प्रारम्भ होने के मध्य समयावधि में सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के प्रावधान अनुसार शिथिलता प्रदान की जा सकेगी।)

(स) धरोहर राशि/EMD:– ई–नीलामी में सम्मिलित जिन्सो की ई–बिड हेतु सेवाप्रदाता फर्मो द्वारा जिन्सवार धरोहर राशि निर्धारित की जावेगी। जिसको जमा करवाने के उपरान्त नियमानुसार फर्म /बिडर द्वारा ई–बिड में भाग लिया जा सकेगा। **(जिन्सवार मात्रा की मण्डी दर अनुसार आरक्षित दर का 2 प्रतिशत)**

5. ई–नीलामी हेतु नियम व शर्तें–

1 नीलामी पूर्णतः "जहाँ हैं व जैसा है" के आधार पर होगी।

2 नीलामी मे प्रस्तुत मात्राएं अनुमानित हो सकती है। जिनमे मौसमी परिर्वतनों के साथ कमी अथवा वृद्धि हो सकती है।

3 संयंत्र कार्यालय पर उपलब्ध नीलामी योग्य जिन्सों की ई–नीलामी क्षेत्रीय कार्यालयवार आयोजित की जावेगी।

4 इकाईयों पर उपलब्ध नीलामी योग्य जिन्सो को वर्ष में दो बार अथवा आवश्यकतानुसार नीलामी द्वारा निस्तारण किया जा सकेगा। इस हेतु क्षेत्रीय प्रबंधक अधिकृत होगे।

5 नीलामी योग्य जिन्स जिनकी मात्रा ई–नीलामी में दर प्राप्ति हेतु कम मात्रा मे हो, उन जिन्सो को आवश्यकता अनुसार क्षेत्रीय/संयंत्र प्रबंधक फसलवार/किस्मवार (उपचारित/अनुपचारित) मात्रा को संकलित /इकजाई करते हुए ई–नीलामी सेवाप्रदाता फर्मो/ मुख्यालय को उपलब्ध करवा सकेगे।

6 संयंत्र प्रबंधको द्वारा इकाई स्तर के क्षेत्राधीन विभिन्न फर्मो से सम्पर्क करते हुए ई–नीलामी में अधिक से अधिक बिडर फर्मो को भाग लेने के लिये प्रेरित किया जावेगा।

7 नीलामी से संबंधित राजसीड्स के नियम, जिन्सवार विवरण आदि नीलामी समयावधि में सेवाप्रदाता फर्मो द्वारा ई–पोर्टल पर उपलब्ध करवाये जावेगे। साथ ही उक्त फर्मो द्वारा ऑनलाईन बिडिंग विवरण भी उपलब्ध करवाया जावेगा।

8 ई–नीलामी सेवाप्रदाता फर्मो द्वारा उनके नियमानुसार ई–नीलामी मे भाग लेने वाली फर्मो/बिडर से सर्विस चार्ज लिया जा सकेगा। (0.50% plus applicable taxes of transaction value to be paid by successful bidder, to be recovered from EMD/Bid security)

9 ई–नीलामी सेवाप्रदाता फर्मो द्वारा ई–नीलामी में बिडर द्वारा प्रस्तुत दरों के संदर्भ में उच्चतम दरो का विवरण (H–1) क्षेत्रीय/संयंत्र प्रबंधको को तत्काल ई–मेल द्वारा भिजवाया जावेगा। ई–नीलामी में भाग लेने वाली फर्मो या बिडर का विवरण यथा नाम, पता, मोबाइल नम्बर, ई–मेल आईडी आदि क्षेत्रीय/संयंत्र प्रबंधको को प्रेषित किये जावेगे। ई–नीलामी से सम्बन्धित विवरण की प्रति मुख्यालय को भी उपलब्ध करवानी होगी।

10 ई–नीलामी सम्पादित होने से पूर्व फर्मो/बिडर द्वारा जिन्सो के सैम्पल देखने की मांग किये जाने पर संयंत्र प्रबंधको द्वारा इच्छुक फर्मो/बिडर को नियमानुसार जिन्सो का सैम्पल देखने दिया जावेगा।

1.1 क्षेत्रीय प्रबंधको द्वारा निर्धारित तिथि पर सेवा प्रदाता फर्मो से ई–नीलामी में प्राप्त उच्चतम दरो का विवरण तत्काल प्राप्त किया जावेगा। प्राप्त विवरण में उच्चतम दरो का नीलामी दिवस की मण्डी दरो अनुसार विश्लेषण करते हुए (नीलामी दिवस की मण्डी दर उपलब्ध नही होने पर अंतिम आवक के समय की सात दिवसीय मण्डी दरो का औसत अनुसार) सेवाप्रदाता फर्मो की उच्चतम दरो का जिन्सवार तुलनात्मक विवरण **निर्धारित प्रपत्र –2**, मे तैयार किया जावेगा । **अधिक मूल्य की फसले/जिन्स यथा तिल, जीरा इत्यादि की पाँच क्विंटल से कम मात्रा तथा अन्य फसलों की 10 क्विं. से कम मात्रा की जिन्सो की यदि ई–नीलामी में प्राप्त उच्चतम दरे, निर्धारित नियमों के अनुसार है तो इनके नियमानुसार निस्तारण स्वीकृति हेतु क्षेत्रीय प्रबन्धक अधिकृत होगे जिसकी सूचना 3 कार्यकारी दिवस में मुख्यालय भिजवानी होगी।**

12 **उक्तानुसार मात्रा की जिन्सो की ई–नीलामी में प्राप्त उच्चतम दरे निस्तारण नियमानुसार प्राप्तनही हुई हो एवं जिन्स जिनकी मात्रा उक्त से अधिक है की ई–नीलामी में प्राप्त उच्चतम दरो के संदर्भ मे स्पष्ट अनुशंषा के साथ संलग्न निर्धारित प्रपत्र –2 में (समस्त वांछनीय दस्तावेजो मय चैक लिस्ट) अधिकतम 03 कार्य दिवसो में मुख्यालय प्रेषित किया जावेगा।**

13 उच्चतम दरो के तुलनात्मक विवरण में जिन्सो की भौतिक स्थिति एवं मण्डी दर अनुसार उपचारित/अनुपचारित जिन्सो का निम्नानुसार न्यूनतम प्रतिशत के आधार पर अनुशंषा की जावेगी।

(अ) अण्डर साईज/स्वीपेज/स्पीलओवर/कट एण्ड टॉर्न/ उपचारित जिन्स यथा अमानक आधार, प्रजनक बीज/ अन्य जिन्स जो कीट व्याधि से अधिक ग्रसित या खराब हो, भौतिक स्थिति अनुसार मण्डी दरों का न्यूनतम 60 प्रतिशत।

(ब) अनुपचारित अमानक बीज की मण्डी दर का न्यूनतम 85 प्रतिशत।

14 **ऐसी जिन्स जिनकी भौतिक स्थिति खराब हो तथा नीलामी में प्राप्त उच्चतम दरें निर्धारित नियमानुसार नहीं है तो इकाई स्तर की कमेटी स्पष्ट अनुशंषा मय जस्टिफिकेशन मुख्यालय को प्रस्तुत करेगी। मुख्यालय स्तर की कमेटी परीक्षण कर प्राप्त दरों पर नीलामी की स्वीकृति अथवा अस्वीकृति की सिफारिश अनुसार प्रबन्ध निदेशक के अनुमोदन अनुसार कार्यवाही की जावेगी।**

15 क्षेत्रीय प्रबंधको द्वारा **ई–नीलामी में प्राप्त उच्चतम दरो के संदर्भ** प्राप्त पूर्ण विवरण, अनुशंषा, वांछनीय दस्तावेजो का मुख्यालय द्वारा विश्लेषण करते हुए **अधिकतम 07 कार्य दिवस** मे ई–नीलामी मे प्राप्त दरो का अनुमोदन किया जा सकेगा। **(विशेष/असामान्य परिस्थिति वश निस्तारण स्वीकृति अवधि में परिवर्तन प्रबन्ध निदेशक के अनुमोदन उपरान्त ही किया जा सकेगा, किन्तु यह अवधि 15 कार्य दिवस से अधिक नहीं होगी)** ।

16 मुख्यालय से जिन्सो की उच्चतम दरो की स्वीकृति उपरान्त क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा ई–नीलामी सेवा प्रदाता फर्मो को/ बिडर को पृथक–पृथक पत्रों द्वारा तत्काल सूचित किया जावेगा।

RajKaj Ref No.: 15199667

17 **ई–नीलामी में स्वीकृत जिन्सों का बिडर द्वारा उठाव**

(क) फर्मो **(बिडर)** **को ई–नीलामी में स्वीकृत जिन्सों की सूचना उपरान्त 07 दिवस में स्वीकृत जिन्सो के पेटे कुल** जिन्सो का उठाव **राशि का 25 प्रतिशत राशि** इकाई पर जमा करवानी होगी (धरोहर राशि के अतिरिक्त)।

(ख) फर्मो **(बिडर)** द्वारा स्वीकृत जिन्सो के पेटे स्वीकृति सूचना उपरान्त **अधिकतम** 15 दिवस में शेष 75 प्रतिशत राशि जमा करवाने के उपरान्त जिन्सो का उठाव हेतु इकाई प्रभारी द्वारा रिलीज ऑर्डर जारी किया जावेगां।

(ग) यदि फर्मो **(बिडर)** द्वारा नियत अवधि में **25 प्रतिशत राशि** जमा नही करवाई है तो संयंत्र प्रबंधको द्वारा तत्काल सेवा प्रदाता फर्मो को संबंधित फर्मो की जिन्सो के पेटे जमा बिड सिक्योरिटी/धरोहर राशि निगम खाते में स्थानान्तरित करने हेतु सूचित करते हुए बिड सिक्योरिटी जब्ति की कार्यवाही **इकाई स्तर से की जावेगी।**

(घ) फर्म (बिडर) द्वारा नियत अवधि में स्वीकृत जिन्सो के पेटे कुल राशि का 25 प्रतिशत राशि जमा करवाने उपरान्त 75 प्रतिशत राशि जमा नही करवाई जाती है (कुल 15 दिवस) तो बिना पूर्व सूचना के फर्म की जमा 25 प्रतिशत राशि व बिड सिक्योरिटी/ धरोहर राशि जब्ति की कार्यवाही इकाई स्तर से की जावेगी।

(ड़) यदि इकाई स्तर पर फर्मो द्वारा स्वीकृत जिन्सों पेटे 15 दिवस में सम्पूर्ण राशि जमा करवा दी है किन्तु जिन्सों का उठाव नही किया है तो इच्छुक फर्म (बिडर) द्वारा आगामी 15 दिवस (स्वीकृति दिनांक से कुल एक माह) में जिन्सो का उठाव करने हेतु निवेदन किये जाने पर सम्बन्धित संयंत्र प्रबन्धक क्षेत्रीय प्रबन्धक से अनुमति उपरान्त 1 माह का नियमानुसार राजस्थान राज्य भण्डार व्यवस्था निगम की दर से भण्डारण शुल्क जमा करवाकर फर्म या बिडर को डिलीवरी दे सकेगे। इस 1 माह में डिलीवरी नहीं लेने पर समस्त जमा राशि मय धरोहर राशि जब्ती हेतु नोटिस जारी कर सात दिवस में प्रबंध निदेशक के समक्ष व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर देते हुये तदनुसार कार्यवाही की जावेगी। सुनवाई उपरान्त आदेश अनुसार जब्ति की कार्यवाही इकाई स्तर से की जावेगी।

(च) बिडर फर्म द्वारा सम्पूर्ण राशि जमा करने के उपरान्त निर्धारित समय अवधी एक माह में किसी प्राकृतिक आपदा, आकस्मिक अनियन्त्रित परिस्थितियों के कारण जिन्स का उठाव नहीं किया जाता है तो जिन्स उठाव की अवधि के विस्तार के संदर्भ में प्रबन्ध निदेशक का निर्णय अन्तिम होगा।

Raj Ref No.: 15199667

(छ) उपचारित जिन्सों की स्वीकृति उपरान्त सयंत्र प्रबंधको द्वारा संबंधित फर्मो/बिडर से 25 प्रतिशत राशि जमा करवाने के साथ ही राशि रू. 500/– के नॉन ज्यूडिशयल स्टाम्प पेपर पर नोटरी पब्लिक से प्रमाणित करवाकर इस आशय का शपथ पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा कि वह नीलामी मे क्रय गई की जिन्सो का उपयोग पशु आहार अथवा ऐसे खाद्य पदार्थों के रूप में नहीं किया जावेगा, जिससे जीव हानि होना संभावित हो।

(ज) यदि फर्मो/बिडर निगम के बारदाने सहित माल खरीदता है तो बारदाने का भुगतान निगम की निर्धारित दरों पर किया जावेगा व बारदाने की छपाई क्रॉस करके उपलब्ध करवाया जावेगा। लेबल्स तथा टेग किसी भी स्थिति में उपलब्ध नहीं कराये जायेंगे। इकाई प्रभारी द्वारा लेबल्स तथा टेग उतार कर सुरक्षित रखे जावेगे।

(झ) स्वीकृति जिन्सो की बोरियों/कट्टो/थैलियों को गोदाम से उठाकर खोलने, स्वयं के बारदाने में भरने, तुलाई, ढुलाई इत्यादि का खर्चा फर्मो/बिडर द्वारा वहन करना होगा। इकाई स्तर से कोई खर्चा देय नही होगा।

(ञ) जिन्सो के उठाव के समय संबधित जिन्सो पर नियमानुसार लागू कर, संयंत्र प्रबंधको द्वारा लेखा नियमानुसार प्राप्त किये जावेगे साथ ही स्वीकृत जिन्सों के उठाव के समय फर्मो द्वारा टीडीएस राशि लेखा नियमानुसार प्राप्त की जावेगी । सेवाप्रदाता फर्मो/ बिडर को सभी प्रकार के कर/टैक्स का नियमानुसार पालन किया जावेगा।

18. इकाई द्वारा संबंधित फर्मो को स्वीकृत जिन्सों के पेटे पूर्ण राशि जमा करवाने एवं उठाव के उपरांत स्वीकृत जिन्सों के उठाव के संदर्भ मे अदेयता प्रमाण पत्र जारी किया जाना होगा तथा जिन्सो के उठाव की सूचना संलग्न निर्धारित **प्रपत्र–3** में मुख्यालय एवं संबंधित ई–नीलामी सेवाप्रदाता फर्मो को भिजवाई जानी होगी। फर्मो या बिडर द्वारा निर्धारित समयावधि में स्वीकृत जिन्सों का उठाव करने के उपरान्त इकाई प्रभारी से प्राप्त अदेयता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने के बाद सेवाप्रदाता फर्मो द्वारा फर्म/बिडर की धरोहर राशि लौटाई जा सकेगी।

19 **क्षेत्रीय कार्यालयवार खुली बोली :–**
ऐसी जिन्स जिनकी दो ई–नीलामी में कोई दर प्राप्त नही होने पर अथवा प्राप्त दरों की प्रतिशत निर्धारित मापदण्डो से कम होने की स्थिति में एवं अधिक मूल्य की फसले/जिन्स यथा तिल, जीरा इत्यादि फसलों की पाँच क्विंटल से कम मात्रा तथा अन्य फसलों की 10 क्विं. से कम मात्रा नीलामी हेतु उपलब्ध है, उन जिन्सों के मुख्यालय को प्रेषित करेगे। मुख्यालय अनुमति उपरान्त उन जिन्सो की नीलामी क्षेत्रीय स्तर पर प्रचार–प्रसार करते हुए क्षेत्रीय कार्यालयवार खुली बोली द्वारा नीलामी दर प्राप्त की जा सकेगी
इसके लिए निम्नानुसार कार्यवाही की जावेगी:–

अनुमानित मूल्य दो लाख से कम होने पर:–

(क) इकाई की समस्त नीलामी योग्य जिन्सों का अनुमानित मूल्य दो लाख से कम होने पर:– कार्यालयवार खुली बोली द्वारा जिन्सो की नीलामी क्षेत्रीय स्तर पर प्रचार–प्रसार करते हुए क्षेत्रीय कार्यालयवार खुली बोली द्वारा जिन्सों की भौतिक स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए इकाई स्तर पर गठित कमेटी द्वारा आरक्षित दर निर्धारित कर नीलामी दर प्राप्त की जा सकेगी । प्राप्त दरो की स्वीकृति जारी करते हुए निस्तारित किया जा सकेगा। अधिकतम 03 कार्य दिवसो में स्वीकृति की सूचना मुख्यालय भिजवानी होगी।

(ख) समस्त जिन्सो का अनुमानित मूल्य दो लाख से अधिक होने पर जिन्सो की नीलामी क्षेत्रीय स्तर पर प्रचार–प्रसार करते हुए क्षेत्रीय कार्यालयवार खुली बोली मे स्थानीय कमेटी के साथ मुख्यालय प्रतिनिधि (मुख्यालय स्तर की कमेटी का सदस्य में से कोई एक)की उपस्थिति अनिवार्य होगीं । । प्राप्त दरो की स्वीकृति जारी करते हुए निस्तारित किया जा सकेगा। अधिकतम 03 कार्य दिवसो में स्वीकृति की सूचना मुख्यालय भिजवानी होगी।

20. नीलामी को पूर्ण एवं आंशिक रूप से स्वीकृति/अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार निगम के प्रबंध निदेशक को होगा।

21 .नीलामी में किसी भी प्रकार का विवाद होने के संबंध में माननीय अध्यक्ष राजस्थान स्टेट सीड्स कार्पो. लि. का निर्णय अंतिम एवं दोनों पक्षों को मान्य होगा।

22. यदि किसी कारणवश ई–नीलामी मे प्राप्त दरों का 15 कार्य दिवस मे भी अनुमोदन स्वीकृति मुख्यालय स्तर से नहीं दी जाती हैं तो नीलामी स्वतः ही निरस्त मानी जावेगी तथा नीलामी मे भाग लेने वाली फर्मो को धरोहर राशि लौटा दी जावेगी।

(निमिषा गुप्ता)
प्रबंध निदेशक
DIN 10565348

कमांक :एफ 6( )/विपणन/ ई नीलामी नियम व शर्ते/2024–25 3167-3208 दिनांक :12-05-25

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. निजी सचिव माननीय अध्यक्ष एवं शासन सचिव कृषि राजस्थान जयपुर।
2. वरिष्ठ प्रबंधक वित्त, राजस्थान स्टेट सीड्स कॉर्पो. लि. जयपुर।
3. स्हायक उपाध्यक्ष NCDEX आकृति कॉर्पोरेट पार्क, प्रथम तल एलबीएस मार्ग, कन्जूर मार्ग (पश्चिम), मुम्बई–40007
4. क्षेत्रीय कार्यालय, NCDEX प्रेस्टीज टॉवर, द्वितीय तल, कार्यालय न.–1ए, आम्रपाली सर्किल वैशाली नगर जयपुर।

प्रबंध निदेशक

Document certified by NIMISHA GUPTA <dsmedicalgroup2@gmail.com>.
Digitally Signed by Nimisha Gupta
Designation : Managing Director
Date :12-05-2025 10:14:43

Kaj Ref No.: 15199667